

प्रेमक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

देवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय-केन्द्र
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

तकज: दिनांक: 16 अक्टूबर, 1993

विषय:-

इन्दिरा गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल तिरतार्गज फिरोजाबाद को सी०बी०स्त०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:-

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह ज्ञान का निदेश हुआ है कि इन्दिरा गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल तिरतार्गज फिरोजाबाद को सी०बी०स्त०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

- 1- विद्यालय की पंजीकृत तोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचितजाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की स्थापना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोलिन फार टि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैजिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था को अधिक एवं शिथिलतर कर्मचारियों की राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त अज्ञातकीय उत्पत्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य

Principal
Indira Memorial Public School
Siraganj (Ferozabad)

Manager
Indira Memorial Public School
Siraganj (Ferozabad)

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिष्कार/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि 3 वर्ष के भीतर विद्यालय के निजी भवन का निर्माण करवाकर शासन को अर्पण करवाया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गांगुली ।
उप तपिय ।

सं० 3814111/15-7-1993 तद्विनिर्दिष्ट

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुव्यवस्थित रूपे आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक आगरा मंडल आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, फिरोजाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक इन्दिरा गांधी पब्लिक स्कूल, सिरसागंज, फिरोजाबाद ।

आज्ञा से,

Principal

Indira Memorial Public School
Sirsaganj (Firozabad) U. P.

अशोक गांगुली ।
उप तपिय ।

Manager

Indira Memorial Public School
Sirsaganj (Firozabad) U. P.